प्रेषक,

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ :: दिनांक 17-12-2024

विषय: इटावा शाखा के किमी० 23.338 दायें किनारे से निकलने वाले कुशियारी राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 28.000 तक की पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन कार्य की परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-1473/1425/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 23.10.2024 के प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **" इटावा शाखा के किमी० 23.338 दायें किनारे से निकलने वाले कुशियारी राजवाहा के किमी० 0.000 से किमी० 28.000 तक की पुनर्स्थापना एवं नहरी भूमि के सीमांकन कार्य की परियोजना "** की अनुमोदित **लागत धनराशि रू० 691.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति** तथा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)-लेखाशीर्षक-4700-97-051-10-14-24 **" राज्य वित्त पोषित नई सिंचाई परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था "** में प्राविधानित बजट धनराशि रू० 12500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू० 9978.66 लाख में से **धनराशि रू० 158.75 लाख (रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को प्रथम किश्त के रूप में** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उक्त परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन/व्यय किये जाने हेतु अवमुक्त करने के लिए श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।
2. प्रायोजना पर मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा ।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।
4. परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाएगा ।
5. स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना पर ही किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए इसका समस्त उत्तयरदायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा ।
6. स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जाएगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर /डिपाजिट में नहीं रखी जाएगी ।
7. परियोजना पर नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरण क्लीयरनेस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा ।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।
9. प्रशासकीय विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार),निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
10. परियोजनान्तर्गत अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25 जनवरी, 2011 के साथ पठित शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
11. परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों पर 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा ।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA/uploadNew/..._user.aspx

12. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाथओं को जो धनराशि अवमुक्ता की जायेगी वह कार्य की आवश्यिकता के अनुसार होनी चाहिए । विभागाध्यमक्ष कार्यालय में तैनात वित्ता नियंत्रक का यह उत्तररदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्ययकता के अनुसार ही कराया जायें। उक्त परियोजना हेतु अवमुक्ता की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/ बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 19 जून ,2024 में एवं वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा ।
13. परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित कार्यों की विशिष्टियॉ, मानक/गुणवत्ता का दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, प्रमुख अभियन्ता एवं अन्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं का होगा। उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत गुणवत्ता के साथ पूर्ण कर लिए जाएं। परियोजना हेतु आगामी मांग के समय पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि से कराये गये कार्यों का मुख्य अभियन्ता द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर मांग पत्र के साथ निरीक्षण आख्या/कार्यों के फोटोग्राफ तथा मांग से पूर्व परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि राजकोष से आहरित किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-3504/20-27-सिं0-4-21(डब्ल्यू)परि0/2019, दिनांक 10.12.2020 में दिये निर्देशानुसार प्रस्तुत किये जायेंगे।
14. किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का समस्त उत्तरदायित्व विभाग के संबंधित अधिकारियो का होगा ।
15. कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे तथा प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय का विवरण बजट मैनुअल में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वित्त विभाग एवं शासन को प्रतिमाह निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,58,75,000 (रुपये एक करोड़ अठ्ठावन लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4700970511014 सम्बद्ध कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-435-X-2024-25, दिनांक 09-12-2024, मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव ।

संख्या-676(1)/ 2024/737पी/24-27-सिं0-4-001- 93-W-Pari-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज ।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि० एवं नियो०), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
7- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मध्य), लखनऊ / मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), कानपुर, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, मैनपुरी, उ०प्र०।
9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/नियोजन अनुभाग-3/सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
11- नोडल अधिकारी/अनुसचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ ।
12- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
वी०एन० तिवारी
उप सचिव ।

https://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA/uploadFileW_User.aspx

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।